

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/284/2015/एफ0 सी0/258

दिनांक: 29/06/2021

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-बागेश्वर में व्हीलकुलवान स्योकुणा ग्वालदम नाम लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.3 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/12810/2015)

सन्दर्भ:-कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2846/FP/UK/ROAD/12810/2015 दिनांक 16-06-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 19/07/2019 का उत्तर राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रेषित उत्तर में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:-

1. In reply to point No. 03, incomplete reply is found submitted. Nothing has been mentioned about the muck disposal plan. It is seen that only 5250 cum muck has been calculated for the stretch of 3 km length of road. Further, the same has not been authenticated by the DFO and reclamation plan for dumping is also not proposed. State Government may is required to submit following documents:
 - (i) State Government may submit a complete and correct muck disposal plan duly authenticated by the concerned DFO.
 - (ii) State Government may submit the reclamation plan.
2. In reply to point No. 04 regarding selecting the non-forest land for the purpose of muck dumping, incomplete reply is found submitted. State Government may submit the information regarding exploring the area for muck disposal in non-forest land.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)